विभिन्न एसोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदन

2389. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल में (i) फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ; (ii) ऑल इंडिया एयर-कंडीशनिंग एंड रैफ्रिजरेशन एसोसिएशन तथा (iii) गुजरात मोल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) निम्नोक्त विवरण-पत्र के अनुसार।

विवरण-पत्र

एसोसिएशन का नाम	उठाए गए मुद्दे	सरकार की प्रतिक्रिया
(1)	(2)	(3)
(I) फेडरेशन आफ पब्लिशर्स एंड बुकसैलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया।		ऐसा प्रतीत होता है कि सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में राहत दिये जाने के बारे में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
(II) आल इंडिया एयर-कंडीशनिंग एंड रेफ्रीजिरेशन एसोसिएशन।	आल-इंडिया एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन एसोसिएशन से 15-12-84 तथा 6-8-85 के बीच की विभिन्न तारीखों को प्राप्त विविध अभ्यावेदनों में निम्नलिखित राहतें मांगी गई थीं :—	
	(1) 165 लिटर से अधिक की क्षमता वाले रेफ्रीजिरेटरों और डीप-फ्रीजरों पर मूल उत्पादन शुल्क को 50% से घटाकर 25% किया जाए।	इन सुझावों पर विचार किया गया है किंतु इनमें से किसी को भी स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।
	(2) बोतल कूलरों पर भी मूल उत्पादन शुल्क को घटाकर 25% कर दिया जाए।	

(1)	(2)	(3)
	(3) एअरकंडीशनरों पर मूल उत्पादन शुल्क को 110% से घटाकर 60% किया जाए।	
	(4) सरकारी हस्पतालों और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए एअरकंडीशनरों पर उत्पादन शुल्क में उपलब्ध रियायती दर को होटलों आदि के लिए भी लागू किया जाए।	
	(5) लघु एककों के लिए उत्पादन शुल्क सम्बन्धी छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए किया जाए।	
	(6) जिस माल के संबंध में सरकार ने पहले से ही उत्पादन शुल्क की राहत दी हुई है उससे भिन्न माल के बारे में अतिरिक्त अन्तर्विष्ट शुल्क राहत प्रदान की जाए।	
	(7) शुल्क-समायोजन की अनुमति दिए जाने सम्बन्धी मौजूदा योजना की बजाए, तैयारशुदा रेफ्रीजिरेटिंग में मशीनरी के कोई शुल्क अदा किए बगैर निर्माण के लिए रेफ्रीजिरेटिंग और एअरकंडीशनिंग मशीनरी के हिस्से-पुर्जों को लाने-ले जाने की अनुमति देना।	
	(8) रेफ्रीजिरेटिंग और एअरकंडीशनिंग मशीनरी के हिस्से-पुर्जों पर मूल उत्पाद शुल्क की दर को मूल्यानुसार 110% से घटाकर 80% किया जाए।	यह सुझाव विचाराधीन हैं।

(1)	(2)	(3)
(III) गुजरात मोल्डिंग एण्ड इंजीनियरिंग एसोसिएशन ।	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 अंतर्गत आने वाले माल के लघु निर्माताओं के बारे में प्राप्त पूर्ण छूट सीमा को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रु० कर दिया जाए ।	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मद 68 के अंतर्गत आने वाले माल के बारे में "लघु छूट योजना" के लिए उपलब्ध पूर्ण छूट-सीमा को वर्ष 1985 के के बजट में 30 लाख रुपए से कम करके 20 लाख रुपए कर दिया गया था । इस एसोसिएशन सहित विविध एसोसिएशनों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों को देखते हुए दिनांक 8-5-85 से अन्यथा देय 25% की रियायती शुल्क-दर को उक्त योजना के तहत निकासियों के लिए 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच निर्धारित किया गया है ।

2390. [*Transferred to the 23rd August, 1985.*]

Banking facilities for rural and urban Areas

2391. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from various Chambers of Commerce and Industry and other organisations for the opening of branches of nationalised banks in the rural and urban areas of Rajkot, Bhavnagar, Amreli and Junagadh of Gujarat State;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the plans for opening such branches during 1985-86?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) Reserve Bank of India as well as the Government have received suggestions from various quarters including Chambers of Commerce, Nagarik Committee etc., for opening bank offices at some of the centres in the Districts of Rajkot, Bhavnagar, Amreli and Jungadh. The question of opening more bank offices in these districts will be considered by Reserve Bank of India in the light of the Branch Licensing Policy for the Seventh Five Year Plan Period which is being finalised.

Income-tax exemption on rubber replanting subsidy

2392. SHRI M. M. JACOB: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any representation has been received from the rubber growers for granting income-tax exemption on replanting subsidy paid to them;

(b) if so, from whom and when such a representation was received; and

(c) whether any decision has been taken thereon; if so, what are the details thereof?